260

F. No. 2 (03)/2012-Estt.
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Directorate of Extension

KrishiVistar Bhawan
IASRI Campus, Pusa,
New Delhi - 110012
Dated: 16 August, 2021

CORRIGENDUM

Subject:- Extension of Last Date of application for filling up of one (01) vacancy of Assistant Editor (Hindi) in the Level 7 (Rs. 44900-142400) in the Directorate of Extension by composite method deputation plus promotion – reg.

With reference to the advertisement published in the Employment News 19-26 June, 2021 on the subject mentioned above.

The Last Date for receipt of application is hereby further extended up to 60 days from the date of publication of this corrigendum in the Employment News/Rozgar Samachar.

For further details please visit website www.agricoop.nic.in and www.vistar.nic.in. All other terms and conditions shall remain unchanged.

(Y.P.Bhatt)
Dy. Director (Admin)

To,

The Asstt Director,
Advertising Section,
The Employment News, Publication Division,
Ministry of Information & Broadcasting,
7th Floor, Soochana Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,New Delhi - 110003

It is requested to kindly publish the above corrigendum in the Employment News/Rojgar Samachar in the next edition.

Copy to:

1- Sh. Jagdish Prasad Yadav, JD (ER), Krishi Bhavan, with a request that the above corrigendum alongwith details of advertisement may be uploaded on the website of DOE/DA&FW.
2- Guard File

Dy. Director (Admin)

Issued 17/8/2021

मि. सं. 2(3)/2012-स्थापना
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

201

कृषि विस्तार भवन,
पूसा, नई दिल्ली-110012

दिनांक: 18 अगस्त, 2021

16/8/2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विस्तार निदेशालय में स्तर-7 में (रु. 44900-142400) में सहायक संपादक (हिंदी) के एक पद को मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति से भरे जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली में सहायक संपादक (हिंदी)का एक पद वेतन स्तर-7(रु. 44900-142400), (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + 4600 ग्रेड वेतन) (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) में मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति द्वारा भरा जाना है।

प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति:

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघशासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत अधिकारी जो:-

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हों,
अथवा
(ii) नियुक्ति के बाद मूल संवर्ग अथवा विभाग में स्तर 6 या समतुल्य में नियमित आधार पर 6 वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों,
(ग)
(क) आवश्यक

(i) 10 + 2 प्रणाली में 12वीं स्तर तक एक विषय के रूप में हिंदी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में बी.एससी।
(ii) कृषि से संबंधित विषयों पर हिंदी में लेख लिखने या संपादन या संकलन का दो साल का अनुभव या कृषि से संबंधित विषयों पर हिंदी माध्यम में ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों या प्रदर्शनियों का अनुभव।

(ग) वांछनीय
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समकक्ष से पत्रकारिता में डिप्लोमा
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या कृषि विस्तार में एम.एससी।

नोट 1:बाहरी लोगों के साथ-साथ स्तर-6(रु. 35400-112400)में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले विभागीय उप-संपादक (हिंदी) पर भी विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो वह पद पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा।

नोट 2:फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारीजो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ती पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से पूर्व केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में अन्य बाह्य कॉडर के पद सहित सामान्यता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।]

नोट 3:प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पूर्व या जब से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू हुई है या जब से आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान लागू हुए हैं सिवाय उन पूर्व संशोधित वेतनमानों को ए_र जिनका सामान्य वेतन मैट्रिक्समें स्तर एक ही ग्रेड वेतनमें विलय हुआ हो और यह लाभ सिर्फ उन पद या पदों पर लागू होगा जिनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य स्तर प्रतिस्थापन हुआ है, उस तिथि से की गई नियमित सेवा को ही तदनुसार वेतन स्तर में की गई सेवा माना जाएगा।

चयनित अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि वह तो वह वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसरण में अपने ग्रेड वेतन के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करे अथवा सामान्य नियमों के तहत पद से संबद्ध वेतनमान में वेतन नियत करवाए।

अनुरोध है कि रिक्ति का सम्यक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं इच्छुक कर्मियों के आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मा में उनकी सेवा के विस्तृत ब्यौरे तथा पिछली 5 वर्षों की विधिवत सत्यापित गोपनीय रिपोर्ट की फोटो प्रतियों के साथ रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के नाम पर भेजें।

आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाए कि अभ्यर्थी द्वारा दिया गया विवरण सत्य है और कार्मिक के विरुद्ध सतर्कता से संबंधित न तो कोई मामला लंबित है और न ही विचाराधीन है। कार्मिक की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि नियुक्ति होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों और बिना गोपनीय रिपोर्ट के प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(वाई. पी. भट्ट)
उप निदेशक (प्रशासन)
011-25847717एवं011-25846467

वितरण:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, 16-ए, अकबर रोड, हटमेंट्स, नई दिल्ली।
4. महालेखा नियंत्रक, राजस्व विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110517.
5. सूचना पट्ट, विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली।
6. भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-101247.
7. नोडल अधिकारी, विस्तार निदेशालय को डीएसी/डीओई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. गार्ड फाइल।

263

मि. स. 2 (3)/2012-स्थापना

भारतसरकार Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare

विस्तार निदेशालय Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन Krishi Vistar Bhawan

आई.ए.एस.आर.आई.कैंपस IASRI Campus

पूसा ,नई दिल्ली Pusa, New Delhi 110012

दिनांक 16 अगस्त, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Filling up of One (01) vacancy of Assistant Editor (Hindi) in the Level 7 (Rs.44900-142400), in the Directorate of Extension by composite method deputation plus promotion - regarding.

The undersigned is directed to say that One (01) vacancyof **Assistant Editor (Hindi) in the Level 7 (Rs.44900-142400)**, (Pre-revised PB-2 9300-34800+4600GP) (Group 'B') (Gazetted) (Non-Ministerial) in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi, is required to be filled up by **composite method deputation plus promotion**.

Deputation Plus Promotion:

Officers Under the Central Government or State Government or Union Territories:-

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

or

(ii) with a five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level 6 or equivalent in the parent cadre or department and

(B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed as under:

(a) Essential:

(i) B.Sc in agriculture from a recognized University with Hindi as a subject upto 12th level in 10+2 system.
(ii) Two year experience of writing or editing or compiling articles in Hindi on topics related to Agriculture or in Audio Visual presentations or exhibitions in Hindi medium on topics related to Agriculture.

(b) Desirable:

(i) Diploma in Journalism from a recognized University or Institute or equivalent
(ii) M.Sc. in Agriculture or Agricultural Extension from a recognized University or Institute.

Note 1: The Departmental Sub-Editor (Hindi) with five years' regular service in the grade in Level 6 (Rs. 35400-112400) shall also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.]

Continued on next page 2...

Note 3: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an office prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised grade pay with a common level in pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level of pay matrix is the normal replacement level without any up-gradation.

The selected officer will have the option either to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Ministry of Finance instructions issued from time to time or gets his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the normal duties.

It is requested that the vacancy may kindly be accorded due publicity and the applications, with details of service particulars in the enclosed pro-forma as per Annexure, from suitable and willing Officials, along with duly attested photocopies of ACRs/APARs for the last 5 years, may kindly be forwarded to the undersigned, by name within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar.

While forwarding the applications, it may also please be verified and certified that the particulars furnished by the applicant are correct and that no vigilance proceedings are pending or being contemplated against the officer. The integrity of the Officials may also be certified. It may also please be made clear that in the event of selection, the candidate will not be allowed to withdraw his/her candidature and will be relieved immediately. Incomplete applications or application received without up-to-date ACRs/APARs dossier will not be considered.

(Y.P. Bhatt)
Dy. Director (Admin)
011-25847717 & 011-25846467

Distribution:

1. All Ministries/Department of Government of India.
2. All Attached/Subordinate Offices of the Department of Agriculture & Famers Welfare
3. Chief Controller of Accounts, Deptt of Agriculture, Coop. & Farmers Welfare, 16A, Akbar Road, Hutment, New Delhi.
4. Controller General of Accounts, Deptt. of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-1100571
5. Notice Board, DOE., Pusa, New Delhi
6. Comptroller and Auditor General of India, 9 Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-101247.
7. Nodal Officer, DOE for uploading on DAC/DOE website
8. Guard file.

अनुलग्नक

जीवन वृत / प्रोफार्मा

क्रम सं.	विवरण		
1	नाम और पता (साफ अक्षरों में)		
2	जन्म तिथि (ईसवी सन् में)		
3	केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि		
4	शैक्षणिक योग्यता		
5	क्या आप पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि किसी योग्यता को नियम के अंतर्गत समतुल्य योग्यता के रूप में माना गया है तो, उसे स्पष्ट करें)		
	अपेक्षित योग्यताएं / अनुभव		अधिकारी द्वारा धारित योग्यता / अनुभव
	अनिवार्य		
	(1)		
	(2)		
	(3)		
	वांछनीय		
	(1)		
	(2)		
6	ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आधार पर, कृपया स्पष्ट करें कि क्या आप पद की अपेक्षायें पूरी करते हैं?		
7	कालक्रमानुसार नियोजन का विवरण यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें और उस पर अपने हस्ताक्षर करके विधिवत प्रमाणित करें ।		

कार्यालय / संस्थान / संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्य का स्वरूप

8	वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात तदर्थ अतवा अस्थायी अथवा स्थायीवत् अथवा स्थाई	
9	यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर हो तो, कृपया बताए:	
	(क) आरम्भिक नियुक्ति की तिथि	
	(ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि	
	(ग) वर्तमान कार्यालय / संगठन का नाम जिसमें आप इस समय कार्यरत हैं ।	
10	क्या आप संशोधित वेतमान में हैं ? यदि हाँ तो संशोधन की तिथि और संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं ।	
11	इस समय प्रतिमाह प्राप्त की जा रही कुल परिलब्धियां।	
12	इस पद के लिए स्वयं को उपयुक्त बताने के समर्थन में कोई अतिरिक्ति सूचना हो तो बताएं । यदि स्थान पर्याप्त न हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें ।	
13	क्या आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं ?	
14	कृपया स्पष्ट करें कि क्या आपने प्रतिनियुक्ति पर या स्थानान्तरण आधार पर आवेदन किया है ?	
15	टिप्पणी	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता ....

....

....

दिनांक ....

प्रतिहस्ताक्षरित............................
(नियोजक)